भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1932
उत्तर देने की तारीख 05 अगस्त, 2021

भारतनेट कार्यक्रम के समापन में विलम्ब

1932 श्री संजय सिंह:
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतनेट कार्यक्रम अपने कार्यान्वयन के पहले और दूसरे दोनों चरणों में निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो परियोजना में हुए विलम्ब का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह भी सच है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिगेशन फंड (यूएसओएफ) ने भारतनेट के कार्य को निर्धारित समयसीमा से पूरा करने में हुए विलम्ब के लिए कॉमन सर्विस कमीशन (सीएससी) पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है; और
(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ख) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 09.07.2021 की स्थिति के अनुसार देश की कुल 1,57,919 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है।

भारतनेट परियोजना के चरण-I (संशोधित कार्यक्षेत्र) का कार्यान्वयन लगभग पूरा हो चुका है क्योंकि लक्षित 1,20,392 ग्राम पंचातयों में से 1,18,649 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर दिया गया है। परियोजना के चरण-II को कार्यान्वित किया जा रहा है और 39,270 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर दिया गया है। अगस्त, 2023 तक इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हाल ही में भारतनेट के कार्यक्षेत्र को ग्राम पंचायत स्तर से बढ़ाकर आबादी वाले सभी गांवों तक कर दिया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है:

(i) ग्राम पंचायतें देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई हैं जिनमें दुर्गम क्षेत्र (पहाड़ी/चट्टानी सहित) और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कठिन अभिगम वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।
(ii) परियोजना के चरण-I की शुरूआत ग्राम पंचायतों के क्षेत्र सर्वेक्षण तथा प्रौद्योगिकी मॉडल के प्रायोगिक परीक्षण के कारण वर्ष 2014 की दूसरी छमाही में हुई थी।

(iii) चरण-I में ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए केवल एक माध्यम (यानी भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल) का उपयोग किया गया था तथा मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दों के कारण इसका कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है।

(iv) भारतनेट चरण-II के तहत राज्य-आधारित मॉडल के माध्यम से 8 राज्यों में लगभग 65,000 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो पा रहा है तथा इससे परियोजना के पूर्ण होने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(v) मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन तथा आवागमन पर प्रतिबंधों से परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने कॉमन सर्विस कमीशन (सीएससी) को कोई कार्य नहीं सौंपा है।

सीएससी ई-गर्वनेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी-एसपीवी) जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था है और जिसके अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं, को भारतनेट चरण-I के अनुरक्षण (अर्थात् वृद्धिशील ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का प्रचालन व अनुरक्षण, उपकरण और सहायक अवसंरचना का फर्स्ट लाइन रखरखाव) का कार्य सौंपा गया है। सीएससी-एसपीवी को लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतों के वाई-फाई सेवाओं की व्यवस्था का कार्य भी सौंपा गया है। सीएससी-एसपीवी को सौंपे गए ऊपर उललिखित ग्राम पंचायतों में से यह 77,000 (लगभग) ग्राम पंचायतों में प्रत्येक जीपी में पांच सरकारी संस्थानों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) भी उपलब्ध करा रहे हैं।

तथापि भारतनेट के चरण-I और चरण-II के तहत सीएससी-एसपीवी को ब्लॉक मुख्यालयों और इसके ग्राम पंचायतों के बीच नेटवर्क बिछाने का कार्य नहीं सौंपा गया है।

****